समाचार–प्रकाशनार्थ :–

स्वच्छता क्रांति ने रचा इतिहासः 1001 रांगोली के माध्यम से दिया स्वच्छता का संदेश
महिला समूहों, नागरिकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–सहायिकाओं आदि ने रांगोली के माध्यम से इतिहास रचकर रतलाम को बनाया नम्बर–1

रतलाम 31 मार्च । कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक श्री गोपालचंद डाड के निर्देश और निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के कुशल मार्गदर्शन में स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 के तहत रतलाम शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के प्रयास तेजी से जारी है। इन्ही प्रयासों के चलते कचरामुक्त स्थानों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर रांगोली निर्माण कर नागरिकों को स्वच्छता का स्वच्छता का संदेश दिया गया है।` इस अभियान में समूचे शहर को जोड़ते हुए आगामी 31 मार्च बुधवार को रतलाम नगर के विभिन्न इलाकों में एक हजार एक रांगोली का निर्माण कर नागरिकों ने रांगोली निर्माण में भी नम्बर–1 बना दिया है।

नगर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने जानकारी देते हुए बताया कि रतलाम शहर को स्वच्छता रैंकिग 5 स्टार में लाने के लिए रतलाम नगर निगम ने दावेदारी की है और इसके मापदण्डों को भी पूरा किए जाने के प्रयास सतत जारी है। इसी के तहत रतलाम शहर के 49 ही वार्ड जीरो वेस्ट में तब्दिल किए जा चुके है।

पिछले दिनों नई दिल्ली से रांगोली को देश में विशेष अलर्ट घोषित किया गया है जो शहरवासियों के लिए गर्व का विषय है। इसी कड़ी में आगामी 31 मार्च को शहर में एक हजार एक रांगोली का लक्ष्य रखा गया था। इस लक्ष्य के तहत बुधवार को अपने कार्यालय, घर, दुकान, पार्क, चौराहा, तिराहे इत्यादि की सफाई करवाकर विभिन्न उद्देश्यों को दर्शित कर रंगोली बनवाई गई ताकि पूरे नगर में स्वच्छता के प्रति सुन्दर भाव जागे।

इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए रतलाम के एक दर्जन महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 100 सदस्यों का चयन किया। इसी के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग से समन्यव कर नगर की 150 से ज्यादा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता–सहायिकाओं का चयन कर उन्हे अपनी क्षेत्र की महिलाओं और बालिकाओं के माध्यम से रांगोली निर्माण का दायित्य सौपा गया। इसके साथ ही सफाई मित्र समूह की टीम भी अलर्ट रही। सुबह सात बजे से रांगोली निर्माण की शुरुवात स्वास्थ्य अधिकारी एपीसिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम कार्यालय से की गई। इसके बाद शहर के अनेक इलाकों में रांगोली निर्माण का कार्य शाम सात बजे तक जब तक चलता रहा कि जब तक 1001 रांगोली का लक्ष्य पूरा नही हो गया।

इन इलाकों में सजी रांगोली

अलकापुरी, जनता नगर, नयागांव राजगढ़, अर्जुन नगर, दिलीप नगर, हनुमान ताल, रत्नपुरी,शक्तिनगर, शुभम परिसर,सहकारी कॉंलोनी,दीपक नगर,सूरजमल जैन नगर,अर्जुन नगर,माहेश्वरी प्रोटीन,राजीव नगर,दिलीपनगर,सिविक सेंटर, काशी विश्वनाथ मंदिर, अमृतसागर क्षेत्र, गढ़ कैलाश, भगतपूरी,जिला अस्पतपाल, महिला एवं शिशु रोग गहन चिकित्सा ईकाई, बाल चिकित्सालय, काटजूनगर, जवाहर नगर, दिनदयाल नगर,नगर निगम कार्यालय परिसर, सांईस एण्ड आटर्स कालेज,कालिका माता मंदिर परिसर, झाली तालाब, अमृतसागर तालाब क्षेत्र,वार्ड नम्बर–22 (भगतपुरी),रत्नेश्वर रोड़,वार्ड नम्बर–25 (मालीकुआं)गवली मोहल्ला, भाटो का वास,लोहार पट्टी,अजा बस्ती व आसपास का इलाका,सुभाष नगर, त्रिवेणी रोड, शंकरगढ़, नया कल्याण नगर, पुराना कल्याण नगर, मस्जिदवाली गली, त्रिपोलिया गेट रोड़, गढकैलाश, मोतीनगर, संत नगर,खेतलपुर, ईश्वर नगर गली नम्बर–1,2,3 व 4, राम रहीम नगर गली नम्बर–1 व 2,धीरजशाह नगर गली नम्बर 1,2 व 3, गोपाल नगर गली नम्बर 1 व 2, बुध्देश्वर रोड़, टाटा नगर गली नम्बर– 1,2 व 3, डी डी नगर सेक्टर एक से लेकर पांच तक, श्री नगर, ओसवाल नगर, बालाजी नगर, चुनपत बिल्डिग, गुलाबशाह वाली रोड़,नवीन कलेक्टर कार्यालय, एसपी कार्यालय, डीआरपी लाईन,मोचीयान पंचायत,शैरानीपुरा–1,केर बावड़ी,दानीपुरा,धबाईजी का वास,बाह्मण गली, सोमनाथ मंदिर,हाथीखाना रोड़ सहित नगर के सभी प्रमुख चौराहे सहित 100 से ज्यादा क्षेत्रों में रांगोली का निर्माण कराया गया है।

सतत जारी रहेगा रांगोली निर्माण

आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए कहां कि स्वच्छता का प्रति जनता का आदर भाव सराहनीय है। कुछ क्षेत्रों में लोगों ने अपने घरों के बाहर रांगोली का निर्माण कर शहर के प्रति अपने स्नेह का इजहार किया है। बुधवार को एक हजार एक रांगोली निर्माण का जो लक्ष्य हुआ वो पूरा हुआ है। यह कार्य निरन्तर जारी रहेगा और जो क्षेत्र आज छूटे है उनमें भी रांगोली का निर्माण जारी रखा जाएगा।

उन्होने कहां कि गंदगी सबको अलग –थलग करती है किन्तु रंगोली के माध्यम से स्वच्छता सबको एक करेगी। एकता में ही तो शक्ति है। रतलाम नगर को पूरे देश में नंबर 1 बनाने के लिए शहर के सभी वार्डों को कचरा मुक्त बनाकर ही रैंकिंग प्राप्त की जा सकती है।

इनका रहा सहयोग

आज के रांगोली निर्माण कार्य में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मती विनिता लोढ़ा, पर्यवेक्षक प्रेरणा तोगड़े, एहतेशाम अंसारी, मंजू वर्मा,हेमा गेहलोत, उषा लिम्बोदिया, श्रीमती कुसुम चाहर,सोफिया कुरैशी, सीमा अगनीहोत्री, ज्योति शर्मा,लोकेश जाट, वैशाली वाघेमम्बरे, गीता शर्मा, फातिमा सिदद्की, सपना अग्रवाल,विजया देराश्री,श्रीकृष्ण महिला समूह,सफाई मित्र समूह, स्वास्थ्य विभाग के आशीष चौरसिया,स्वच्छता निरीक्षक किरण चौहान, पर्वत हाड़े,वार्ड 22 के दारोगा चंदन भाटी, आदि लोगों का भरपूर सहयोग और योगदान रहा है।

पॉलीथीन व डिस्पोजल आयटम चरणबद्ध तरीके से होगा प्रतिबंधित

रतलाम 31 मार्च । गंदगी का मुख्य कारण प्लास्टिक होने से शासन द्वारा पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों को प्रतिबंधित किया गया है। नगरीय क्षेत्र रतलाम में पॉलीथीन बैग व डिस्पोजेबल आयटमों पर चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध लगाये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बैठक में निगम अधिकारियों को निर्देशित किया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बैठक में निर्देशित किया कि 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की हैण्डल सहीत व हैण्डल रहीत पॉलीथीन को पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना है इस हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये साथ ही प्लास्टिक व थर्मोकॉल के डिपोजेबल आयटमों को भी प्रतिबंधित किया जाना है।

नागरिक व दुकानदार पॉलीथीन बैग के स्थान पर कपड़े की थैली, नारियल या जूट की थैली का उपयोग करें, प्लास्टिक व थर्मोकोल से निर्मित कप, ग्लास, कटोरी, चम्मच, कन्टेनर, स्ट्रॉ आदि के स्थान पर पेपर स्ट्रॉ, पेपर प्लेट, दोने पत्तल, पत्तो से निर्मित बाउल, केले के तने तथा नारियल के पत्तों से निर्मित प्लेट एवं बाउल, मिट्टी के कुल्लहड़ आदि का उपयोग खाद्य एवं पेय पदार्थो के लिये करें इस हेतु प्रेरित किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने पॉलीथीन व डिस्पोजेबल आयटमों के विक्रय, भण्डारण तथा उपयोग पाये जाने पर जब्ती व अर्थदण्ड की कार्यवाही किये जाने के निर्देश संबंधित को दिये।

अनुपस्थित 30 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना–पत्र जारी

रतलाम 31 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डो की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डो में 31 मार्च बुधवार को 30 सफाई संरक्षकों द्वारा बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार

एक दिवस का वेतन काटा जाकर अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा
741 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 31 मार्च । रतलाम नगर को साफ–स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानो, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 31 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 741 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 27 मार्च बुधवार को जवाहर नगर व अलकापुरी शनि मंदिर से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वंय अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोडेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पंहूचता है तो पालक पर 500 रूपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रूपये 500/– वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने व पॉलीथीन का विक्रय व उपयोग करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 31 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं.

7000128812 दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले–नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते है उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ–स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 31 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश
स्वच्छता के लिये नगारिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 31 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक–पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाईन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक–पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक–पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 31 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण–2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रोयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस ऑन

करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदरों को रखना होंगे 4 डस्टबीन

खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी

अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 31 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल–सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक–पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000–5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 31.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.